पत्रांक 1/प्रा0आ0(2)–24/2006 ...1659.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक– 25/5/16

विषयः **अग्निकांड के मद्देनजर प्रभावितों को सभी अनुदान मदों में राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि जिलों में अग्निकांड की घटना होने पर प्रायः अनुग्रह अनुदान, नगद अनुदान मद, खाद्यान्न मद तथा वस्त्रादि मद की राशि का भुगतान करने के उपरान्त अन्य अनुदान मदों यथा गृह क्षति/ फसल क्षति/ पशु क्षति इत्यादि की राशि का भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना ससमय नहीं की जाती है जिससे प्रभवितों को अन्य अनुदान ससमय भुगतान नहीं हो पाता है। यह भी दृष्टांत पाया जा रहा है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों की लंबित अनुदान के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना बाद के वित्तीय वर्षों में की जाती है। ऐसी स्थिति खेदजनक है। पूर्व के वित्तीय वर्षों की लंबित अधियाचना शीर्षवार की जाय।

यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय जिलों की निकासी को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्निकांड के विभिन्न शीर्षो में उपलब्ध करायी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित रहने के कारण नहीं हो पायी जिसके कारण उनके द्वारा राशि को प्रत्यर्पित कर देना पड़ा। सभी जिला पदाधिकारी अपने स्तर से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा अवश्य कर ले तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के समायोजन हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

अतः अनुरोध है कि अग्निकांड की घटना होने पर तत्काल अनुग्रह अनुदान, नगद अनुदान, खाद्यान्न मद तथा वस्त्रादि मद की अनुदान की राशि का भुगतान करते हुए गृह क्षति/ फसल क्षति/ पशु क्षति इत्यादि का आकलन करते हुए यथाशीघ्र अधियाचना कर ली जाय तथा पूर्व के वर्षो के लंबित मामलों के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना शीर्षवार भी शीघ्र कर ली जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...1659.../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/5/16

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2016\Agni-25.04.2016.docx